संख्या-367/62-2-2004-2/2(4)/2004

प्रेषक,

अजय कुमार जोशी,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा
में,

मुख्य अभियन्ता,
लघु सिंचाई विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

लघु सिंचाई एवं ग्रा०अभि०सेवा अनुभाग-2 **लखनऊ:दिनांक :1अगस्त,2004**

विषय- निजी लघु सिंचाई अन्तर्गत लघु एवं सीमान्त कृषकों को उत्पादन बढ़ाने हेतु सहायता(नि:शुल्क बोरिंग) को वित्तीय स्वीकृतियाँ निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय के संदर्भ में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि निजी लघु सिंचाई -लघु एवं सीमान्त कृषकों की उत्पादकता बढ़ाने हेतु सहायता (नि:शुल्क बोरिंग) को शासन द्वारा जनपदवार धनराशि के आवंटन के आधार पर जिलाधिकारी द्वारा निर्गत वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृतियाँ प्राप्त होने के पश्चात संबन्धित अधिशासी अभियन्ता द्वारा धनराशि के आहरण हेतु मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई से साख सीमा जारी करने का अनुरोध किया जाता है तथा मुख्य अभियंता कार्यालय में पदस्थ वित्त एवं लेखाधिकारी द्वारा साख सीमा जारी की जाती है।

1. नि:शुल्क बोरिंग योजना के लिये वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृतियाँ निर्गत करने को उपर्युक्त वर्तमान व्यवस्था एक लम्बी एवं जटिल प्रक्रिया है जिसके कारण प्रश्नगत योजना के क्रियान्वयन

में कठिनाई उत्पन्न हो रही है जिससे इस महत्वपूर्ण योजना का पूर्ण लाभ प्रदेश के कृषकों को नहीं मिल पा रहा है। अत: इस विषय में सम्यक विचारोपरान्त नि:शुल्क बोरिंग योजना को वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृतियाँ निर्गत किये जाने के संबंध में श्री राज्यपाल महोदय निम्न प्रकार सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :

I. शासन द्वारा अधिशासी अभियंता (ल०सि०) को खण्डवार बजट आवंटन सूचित करने के साथ ही प्रश्नगत कार्य/कार्यो के लिये नियमानुसार वित्तीय स्वीकृतियाँ भी जारी की जायेंगी।

II. उक्त उप प्रस्तर (1) के अनुसार संशोधित बजट आवंटन/ जारी वित्तीय स्वीकृति के आधार पर मुख्य अभियन्ता कार्यालय के वित्त एवं लेखाधिकारी द्वारा तत्परता से सी ०सी०एल० निर्गत किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

III. यह आदेश वित्त विभाग के आ०शा० संख्या: पू० ओ० ए-2-236/दस-04, दिनांक 20-7-2004 में प्राप्त सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

अजय कुमार जोशी
प्रमुख सचिव।

संख्या- 367(1)/62-2-2004 तद्-दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रमुख सचिव, मुख्य मंत्री जी, उत्तर प्रदेश शासन।
2. आयुक्त एवं प्रमुख सचिव, समाज कल्याण उत्तर प्रदेश शासन।
3. प्रमुख सचिव, वित्त उत्तर प्रदेश शासन।
4. प्रमुख सचिव, नियोजन उ० प्र० शासन को उनके आ०शा० पत्र सं०-9/4/35-आ-2/99-40, दिनांक 10 अगस्त, 2000 के क्रम में।
5. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
6. स्टाफ आफिसर, कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
7. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
8. समस्त जिला एवं अर्थ संख्या अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
9. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
10. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग2/3, वित्त लेखा अनुभाग-2

आज्ञा से

(ए०के०सिंह राठौर)
विशेष सचिव,

संख्या: 367(11)/62-2-2004, तद्-दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वितीय, उ०प्र०, इलाहाबाद।
2. निदेशक, कोषागार, उ०प्र० जवाहर भवन, लखनऊ।
3. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से

(ए०के०सिंह राठौर)
विशेष सचिव।